2

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खुमाराम बनाम लो.सू.अ.(जिलारसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 87/2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

17 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खुमाराम मेघवाल पुत्र भीखाराम मेघवाल निवासी केलावा कला, तहसील बावड़ी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.04.2017 में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत केलावा पंचायत समिति बावड़ी, उचित मूल्य की दूकान नं. 155, के बाबत् डीलर द्वारा कार्यालय जिला रसद अधिकारी को लाईसेंस हेतु प्रेषित मूल आवेदन की प्रतिलिपि व अन्य 09 बिन्दुओं , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 464 दिनांक 19.06.17 तथ्यात्मक रिपोर्ट हुई, जिसमें व्यक्त किया कि बिन्दु सं. 1 व 2 के संबंध में उ.मू.दू. के लाईसेंस प्रति उपलब्ध है एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण–पत्र कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड में नहीं है। प्रति पेज राशि जमा नहीं कराई गई। बिन्दु सं. 3 में औद्योगिक दस्तावेज के संबंध में क्या आश्य है, बिन्दु सं. 4, 5, 7 कार्यालय से संबंधित नही है। बिन्दु संख्या–6 वर्तमान में श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक है। सन् 2000 से सूचना देना संभव नहीं है। बिन्दु सं. 8 व 9 के संबंध में प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक एफ 33(3)रसद/सू.अ./2017/340 दिनांक 10.05.17 के द्वारा सूचित किया गया कि आवंटन राशन सामग्री सूचिया सन् 2000 से 31.03.17 तक काफी पुराना है। कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर इस कार्यालय को अवगत करावे। प्रार्थी द्वारा समयावधि में सूचना से अवगत नहीं कराया गया है तथा प्रति पेज–2 रूपये राशि समयावधि में जमा नहीं करवाई है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के साथ संलग्न पत्र की प्रति के अनुसार प्रार्थी को समय पर सूचित कर दिया गया परन्तु प्रार्थी द्वारा निर्धारित राशि भी जमा नहीं करवाई, न रिकॉर्ड अवलोकन करने के लिए उपस्थित हुआ, इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी सूचना प्राप्त करने के लिए गंभीर नहीं है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।